गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड

सचेतक नीति

अनुक्रमणिका

I. परिचय 2

II. प्रयोजन 2

III. परिधि 2

IV. परिभाषाएँ 2

V. अनर्हताएं 3

VI. पद्धति 3

VII. जांच और अन्वेषकों का कार्य 4

VIII. निर्णय 5

IX. रिपोर्टिंग 5

X. संरक्षण 5

XI. गोपनीयता 5

XII. दस्तावेजों का प्रतिधारण 5

XIII. अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना ("यू.पी.एस.आई.") का रहस्य प्रकट करने के मामले में ध्यानाकर्षण 5

XIV. नीति का प्रचार 6

XV. समीक्षा 6

XVI. संस्करण नियंत्रण 6

I. परिचय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की उप-धारा 9, (इसमें इसके बाद "अधिनियम" के रूप में उल्लिखित) और कंपनी नियम 7 (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 (इसमें इसके बाद "नियम" के रूप में उल्लिखित) का आदेश है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियां अपने निदेशकों और कर्मचारियों को अनैतिक व्यवहार या अनुचित कार्य की कोई भी घटना रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए सतर्कता तंत्र स्थापित करें।

इसके अलावा, सेबी का विनियमन 22 (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015) (इसमें इसके बाद "एल.ओ.डी.आर विनियमन" के रूप में उल्लिखित) अपेक्षति करता है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियां अनैतिक व्यवहार, यथार्थ या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए कंपनी के हितधारकों (निदेशकगण, कर्मचारीगण, निवेशकगण, आपूर्तिकर्तागण और ग्राहक सम्मिलित हैं) के लिए "सचेतक नीति" (इसमें इसके बाद "नीति" के रूप में उल्लिखित) बनाएं।

इस प्रकार, यह नीति गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों (इसमें इसके बाद "जी.पी.आई.एल." या "कंपनी" के रूप में उल्लिखित) पर प्रवृत्त प्रासंगिक अधिनियमों और विनियमों के अनुपालन में बनाई गई है।

यह नीति कंपनी के निदेशक बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त होने के दिन से प्रवृत्त होगी।

II. प्रयोजन

इस नीति का प्रयोजन कंपनी में गंभीर अनियमितताओं के बारे में किसी भी चिंता को उठाने के लिए सुव्यवस्थित और औपचारिक प्रक्रिया को मज़बूत बनाना है; और सचेतक की पहचान की रक्षा करते हुए इसका प्रभावी रूप से और निष्पक्ष रूप से निवारण करने के लिए पर्याप्त कदम उठाना है।

यह नीति व्यावसायिकता, सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण के सर्वोच्च मानदण्डों को अपनाकर अपने व्यापार और कामकाज़ के संचालन के लिए जी.पी.आई.एल. की प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देती है। कंपनी सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और नैतिक कार्य संस्कृति उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

III. परिधि

यह नीति जी.पी.आई.एल. और उसकी सहायक कंपनियों के सभी कर्मचारियों पर लागू है। यह जी.पी.आई.एल. के हितधारकों के लिए भी लागू है।

IV. परिभाषाएँ

इस नीति में प्रयुक्त कुछ प्रमुख पदों की परिभाषाएँ नीचे दी गई हैं:

"संपरीक्षा समिति" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 177 की धारा 2013 के अनुसार और सेबी (एल.ओ.डी.आर) विनियम, 18 के विनियमन 2015 के साथ पठित कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित संपरीक्षा समिति है।

"सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ कंपनी का चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर है और ऐसा व्यक्ति (ऐसे व्यक्ति) सम्मिलित है/हैं जिसे वह समय-समय पर इस नीति के अंतर्गत अपनी कोई शक्ति प्रत्यायोजित करता है।

"कर्मचारी" का अर्थ कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी है (भले भारत में या विदेश में कार्यरत हो), जिसमें कंपनी के कार्यरत निदेशक सम्मिलित हैं।

"अन्वेषक" का अर्थ वे व्यक्ति हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षित प्रकटन की जांच करने में सहायता हेतु अधिकृत, नियुक्त किए गए हैं, जिनसे परामर्श या संपर्क किया गया है और कंपनी और पुलिस के के संपरीक्षक सम्मिलित हैं।

"संरक्षित प्रकटन" का अर्थ सद्भाव में किया गया संचार है जो ऐसी जानकारी का खुलासा या प्रदर्शन करता है जो अनैतिक या अनुचित कार्य को साबित कर सकती है।

"व्यक्ति" का अर्थ ऐसा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिनके विरुद्ध या जिनके संबंध में कोई संरक्षित प्रकटन किया गया है या अन्वेषण के दौरान सबूत एकत्र किया गया है।

"अनैतिक या अनुचित गतिविधि" का अर्थ है लेकिन यह केवल इन तक सीमित नहीं है:-

a) अधिकार का दुरुपयोग
b) संविदा का उल्लंघन
c) कंपनी डेटा/ रिकॉर्ड की हेरफेर
d) कोई भी गैरकानूनी कार्य भले वह फौजदारी/दीवानी हो
e) साभिप्राय वित्तीय अनियमितताएं, जिसमें जललधोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी सम्मिलित है
f) भारी या साभिप्राय लापरवाही जिसके कारण स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए पर्याप्त और विनिर्दिष्ट उत्पन्न हुआ हो
g) व्यावसायिक भागीदारों/कर्मचारियों या दुर्बल वयस्कों के साथ कदाचार (जैसे शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या वित्तीय उत्पीड़न, शोषण द्वारा)
h) कंपनी के धन/परिसंपत्तियों का अपव्यय/गबन
i) कंपनी की नीतियों का उल्लंघन
j) गोपनीय/स्वाम्य सूचना की चोरी

"सचेतक" ऐसा व्यक्ति है जो इस नीति के अंतर्गत संरक्षित प्रकटन करता है।

v. अनर्हताएं

a. यद्यपि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यथार्थ सचेतक को किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, जैसा कि यहां इसमें सुव्यवस्थित किया गया है, इस सुरक्षा का कोई भी अपप्रयोग अनुशासनिक कार्रवाई को न्यायसंगत ठहराएगा।
b. इस नीति के अंतर्गत संरक्षण का अर्थ किसी सचेतक द्वारा लगाए गए मिथ्या आरोपों से उत्पन्न अनुशासनिक कार्रवाई से संरक्षण नहीं होगा, यह जानते हुए कि यह मिथ्या है या कदाशयी अभिप्राय से लगाया गया है।
c. ऐसे सचेतक को, जो कोई भी संरक्षित प्रकटन करता है, जो बाद में कदाशयी या विद्वेषपूर्ण पाया गया था, या ऐसे सचेतक को, जो 3 या अधिक संरक्षित प्रकटन करता है, जो बाद में तुच्छ, निराधार या सद्भाव से इतर रिपोर्ट किए गए पाए गए थे, इस नीति के तहत आगे संरक्षित प्रकटन करने से अनर्हक कर दिया जाएगा और अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

vi. पद्धति

किसी व्यक्ति द्वारा संरक्षित प्रकटन कंपनी या किसी सहायक कंपनी या किसी अन्य मामले से संबंधित मामलों के संबंध में हो सकता है जैसा कि कंपनी पर लागू किसी भी कानून के अंतर्गत प्रासंगिक है। सभी संरक्षित प्रकटन शिकायतकर्ता द्वारा जल्द से जल्द, सचेतक को वह ज्ञात होने के 30 दिन के बाद नहीं, लिखित में रिपोर्ट किए जाने चाहिए; संरक्षित प्रकटन अंग्रेजी या हिंदी भाषा में या सचेतक के रोजगार के स्थान की क्षेत्रीय भाषा में लिखे हुए या तो टाइप किए हुए या सुपाठ्य लिखावट में लिखे हुए होने चाहिए।

अनाम प्रकटन को, एक नियम के रूप में, ग्रहण नहीं किया जाएगा।

संरक्षित प्रकटन को एक बंद और सुरक्षित लिफाफे में शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक आवरण पत्र के तहत प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उस पर "सचेतजक नीति के अंतर्गत संरक्षित प्रकटन" बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए, या "सचेतक नीति के तहत अंतर्गत प्रकटन" विषय के साथ ईमेल द्वारा भेजा जाना चाहिए। यदि शिकायत ऊपर

उल्लिखित के रूप में बड़े अक्षरों में लिखित और बंद नहीं है, तो इस नीति के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट के अनुसार सचेतक को सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं होगा।

सभी संरक्षित प्रकटन कंपनी के सक्षम प्राधिकारी को या असाधारण मामलों में संपरीक्षा समिति के अध्यक्ष को संबोधित होने चाहिए।

सक्षम प्राधिकारी के संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:-

नाम और पता	चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर ओमेक्स स्क्वायर, प्लॉट नंबर 14, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जसोला नई दिल्ली - 110025
ईमेल आईडी	CEO-gpi@modi-ent.com

सक्षम प्राधिकारी आवरण पत्र को अलग करेगा और जांच करने के लिए अन्वेषकों को केवल संरक्षित प्रकटन अग्रेषित करेगा।

VII. जांच और अन्वेषकों का कार्य

a. उठाए गए मामले की आंतरिक रूप से जांच की जा सकती है या किसी बाहरी अन्वेषक को भेजा जा सकता है जो सचेतक द्वारा उठाई गई चिंता के स्वरूप पर निर्भर करेगा।

b. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच करने का निर्णय अपने आपमें एक आरोप नहीं है और इसे एक तटस्थ तथ्य-खोज प्रक्रिया माना जाएगा। जांच का परिणाम संभवत: सचेतक के निष्कर्ष का समर्थन न करे कि एक अनुचित या अनैतिक कार्य किया गया था।

c. सामान्यत: व्यक्तियों को औपचारिक जांच के प्रारंभ में सूचित किया जाएगा और जांच के दौरान उनका सहायोग उपलब्ध कराने के अवसर दिए जाएंगे।

d. व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे जांच के दौरान सक्षम प्राधिकारी या किसी भी अन्वेषक के साथ इस सीमा तक सहयोग करें कि ऐसा सहयोग लागू कानूनों के तहत उपलब्ध स्वयं को दोषी ठहराने से सुरक्षा के साथ समझौता न करे।

e. व्यक्तियों को अन्वेषकों और/या संपरीक्षा समिति के सदस्यों और/या सचेतक को छोड़कर अपनी पसंद के किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से परामर्श करने का अधिकार है। व्यक्ति किसी भी समय जांच कार्यवाही में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने स्वयं के खर्च पर वकील नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। बहरहाल, यदि व्यक्ति के खिलाफ आरोप धारणीय नहीं हैं, तो कंपनी ऐसी लागतों की प्रतिपूर्ति करने का कारण देख सकती है।

f. सामान्यत: जांच को 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, और यदि कोई विचलन है तो जांच रिपोर्ट में औचित्स सिद्ध किया जाएगा।

अन्वेषकों के कार्य इस प्रकार होंगे:

a. अन्वेषकों से तथ्य-खोज और विश्लेषण की दिशा में एक प्रक्रिया का संचालन करना अपेक्षित है।

b. सभी अन्वेषक यथार्थ वास्तव में और कथित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे।

c. निष्पक्षता, वस्तुनिलष्ठता, संपूर्णता, नैतिक आचरण और कानूनी एवं व्यावसायिक मानकों का पालन करना अन्वेषकों का कर्तव्य है।

d. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक समीक्षा करने के बाद ही जांच शुरू की जाएगी।

e. अन्वेषक हर समय सख्त गोपनीयता बनाए रखेंगे।

f. अन्वेषक जांच के परिणाम निकालेंगे और उचित कार्रवाई की सिफारिश करेंगे।

g. जांच प्रक्रिया के दौरान अन्वेषकों के बीच किसी भी विवाद के मामले में, निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा।

h. अन्वेषक अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

VIII. निर्णय

यदि किसी जांच से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुचित या अनैतिक कार्य किया गया है, तो सक्षम प्राधिकारी कंपनी के प्रबंधन को लागू सेवा नियमों के उपबंध के तहत अनुशासनिक या प्रतिकारक कार्रवाई करने की सिफारिश करेगा/या सांवधिक उपबंधक के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करेगा।

इस नीति के अनुपालन में जांच के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप व्यक्ति के विरुद्ध शुरू की गई कोई भी अनुशासनिक या प्रतिकारक कार्रवाई, लागू कर्मियों या कर्मचारियों और अनुशासनिक प्रक्रियाओं पर लागू होगी।

यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि जांच प्रकट करती है कि संरक्षित प्रकटन पर आगे कोई कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है, तो वह यह लिखित में रिकॉर्ड करेगा।

IX. रिपोर्टिंग

नीति के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की संख्या, की गई जांचों और उनके परिणामों के साथ एक तिमाही रिपोर्ट संपरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

संपरीक्षा समिति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति होगी।

X. संरक्षण

इस नीति के अंतर्गत संरक्षित प्रकटन करने के कारण सचेतक के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा। कंपनी, एक नीति के रूप में, सचेतक के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न, अत्याचार या अपनाई जा रही किसी अन्य अनुचित रोजगार पद्धति की भर्त्सना करती है।

कंपनी ऐसी कठिनाइयों का न्यूनीकरण करने के लिए कदम उठाएगी, जो सचेतक संरक्षित प्रकटन करने के परिणामस्वरूप अनुभव कर सकता है।

सचेतक की पहचान को यथासंभव अधिक और कानून के अंतर्गत अनुमेय सीमा तक गुप्त रखा जाएगा।

उक्त जांच में सहायता करने वाले किसी अन्य कर्मचारी का भी सचेतक की तरह ही संरक्षण किया जाएगा।

XI. गोपनीयता

इस नीति के अंतर्गत उठाई गई सभी चिंताओं और मुद्दों पर गुप्त विधि से कार्रवाई की जाएगी, सिवाय एक पूर्ण, निष्पक्ष और प्रभावी रूप से जांच करने के लिए आवश्यक सीमा के।

सचेतक, व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी, संपरीक्षा समिति के सदस्य, अन्वेषक और प्रक्रिया में शामिल सभी लोग मामले की पूर्ण गोपनीयता/प्रच्छन्नता बनाए रखेंगे।

यदि किसी को उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता पाया जाता है, तो उसे ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा जैसा कि उपयुक्त समझा जाए।

XII. दस्तावेजों का प्रतिधारण

सभी लिखित या तत्संबंधी जांच के परिणामों के साथ दस्तावेजबद्ध संरक्षित प्रकटनो को कंपनी द्वारा न्यूनतम 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

XIII. अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना ("यू.पी.एस.आई") का रहस्य प्रकट करने के मामले में ध्यानाकर्षण

"यू.पी.एस.आई" का रहस्य प्रकट करने की कोई भी घटना सचेतक के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर होनी चाहिए। यह किसी भी द्वितीयक, अविश्वसनीय स्रोत जैसे सुनी सुनाई बात या अनौपचारिक संचार के किसी अन्य रूप पर आधारित नहीं होनी चाहिए।

सचेतक अपनी ई-मेल आईडी पर सक्षम प्राधिकारी को एक ईमेल द्वारा यू.पी.एस.आई का रहस्य प्रकट होने की सूचना दे सकता है, जिसका विषय "यू.पी.एस.आई का रहस्य प्रकट होना" हो।

रिपोर्टिंग के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी जांच करवाने से से पहले रिपोर्टिंग की यथार्थता के बारे में जांच करेगा।

यू.पी.एस.आई का रहस्य प्रकट होने की रिपोर्टिंग की यथार्थता ज्ञात होते ही सक्षम प्राधिकारी नीति के अंतर्गत निर्धारित जांच की प्रक्रिया का पालन करेगा।

XIV. नीति का प्रचार

नीति कॉर्पोरेट वेबसाइट पर उपलब्ध होगी www.godfreyphillips.co/.

XV. समीक्षा

बोर्ड जब आवश्यक समझे या अधिनियम, एल.ओ.डी.आर विनियमों में किए गए संशोधनों या किसी अन्य अधिनियम के अधिनियमन, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन में, कंपनी सचिव के माध्यम से नीति की समीक्षा की जा सकती है।

उपरोक्त नीति की सत्य प्रति है जैसा कि मूल रूप से बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई थी और फिर समय-समय पर संशोधित की गई थी।

XVI. संस्करण नियंत्रण

संस्करण	परिवर्तन का विवरण	तिथि
1.2	नीति अब अतिरिक्त व्याप्ति और प्रयोजन के साथ सविवरण है।	27/05/2023